



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम् सत्र 2019-21 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञापित संख्या - 62/2019

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 2019-21 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2020 की नवम् वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा।

(i) कक्षा-09 की परीक्षा ओ.एम.आर. सीट पर ली जाएगी। (ii) परीक्षा के विषय एवं अंक संबंधी विवरणी:-

Paper	Subject	No. of Question	Examination duration
Paper-I	Hindi + English	50+50= 100	3:00 hrs.
Paper-II	Math + Science	50+50= 100	3:00 hrs.
Paper-III	Social Science + Additional subject	50+50= 100	3:00 hrs.

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् हैं:-

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	21.10.2019 से 14.11.2019 तक	21.10.2019 से 16.11.2019 तक	18.11.2019	20.11.2019
विलम्ब शुल्क सहित	16.11.2019 से 22.11.2019 तक	19.11.2019 से 23.11.2019 तक	25.11.2019	27.11.2019

नोट:- दिनांक 18.11.2019 के बाद जेनरेट होनेवाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।

उक्त तिथि के पश्चात् फार्म भरने से संबंधित कोई भी कार्यवाई नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुरूप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे।

➤ जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे।

➤ शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रायित) के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, जिनका नाम Consolidated list में होगा।

वे छात्र, जो गत वर्ष वर्ग नवम् की परीक्षा में 'Marginal' (अनुत्तीर्ण) हुए हैं, उनका आवेदन प्रपत्र भी ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में भरा जाएगा। 'Marginal' छात्रों का फार्म भरते वक्त यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि उनका पुनः पंजीयन फार्म नहीं भरा जाय।

◆ आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात् निकाले गये चेकलिस्ट पर छात्र-छात्रा एवं उनके माता-पिता/अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् यदि डाटा में कोई भी गलती पाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी एवं इसमें सुधार हेतु विद्यालय को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

◆ छात्र/छात्रा एवं उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद् कार्यालय में फार्म भरने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।

◆ ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र-छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र-छात्रा के प्रपत्र में स्कैन कर डाल दिया जाता है, जो आवेदन प्रपत्र भरने में लापरवाही का द्योतक है। इसके बाद इसमें संशोधन हेतु अनावश्यक छात्र-छात्रा एवं परिषद् को परेशानी होती है। विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि सभी छात्र-छात्राओं की विवरणी शुद्ध-शुद्ध ऑनलाइन पोर्टल में भरें।

◆ सभी विद्यालयों का अपना ई-मेल आई.डी. होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आई.डी. के माध्यम से ही भविष्य में परिषद् द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। विद्यालय से अलग ई-मेल आई.डी. देने या उसका पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तगत कराने के उपरान्त किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।

◆ वैसे विद्यालय, जिन्हें Login I.D. एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्यवाई कर रहे हैं, Login I.D. एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।

निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

(1) राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(6) कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।
(2) सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(7) प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(3) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(8) स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।
(4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(9) स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)।
(5) सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय।	(10) केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।

शुल्क की राशि

(क) नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्रा के लिए पंजीयन प्रपत्र शुल्क- ₹80/- प्रति छात्र/छात्रा देय होगा। नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए नवम् वर्ग की परीक्षा, 2020 का परीक्षा शुल्क- ₹90/- देय होगा।

(ख) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹90/- देय नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹90/- प्रति छात्र देय होगा।

(घ) **पूर्णतः स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए**

पंजीयन शुल्क - ₹400/- अनुमति शुल्क - ₹500/-

(ङ) **पंजीयन विलम्ब शुल्क - ₹300/-**

(च) **Marginal (अनुत्तीर्ण) छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क- ₹90/-**

(छ) निम्नलिखित कोटि के विद्यालय प्रधान ही स्वतंत्र छात्र-छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन-प्रपत्रों को अग्रसारित कर सकेंगे:-

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
5. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

(झ) स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।

1. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय, आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति जमा करना होगा।

2. दिनांक 01.03.2007 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।

3. छात्र/छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार चालान जेनरेट करने के पूर्व करना सम्भव हो सकेगा। चालान जेनरेट करने के बाद विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।

4. स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा जो सामेकित विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना होगा।

नोट: 1) कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेंगे।

2) सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं फार्म भरने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर परिषद् कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3) पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।

4) वर्ग नवम् के मॉडल प्रश्नपत्र एवं ओ.एम.आर. सीट का प्रारूप परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। विद्यालय प्रधान उसे डाउनलोड कर छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए अभ्यास कराना सुनिश्चित करेंगे।

JAC/गो. / 1907/17-SECY/464/19

Dt. 19.10.2019, D.O.P. : 20.10.2019

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।